

परिपत्र

कमांक 02 /दो-12-12/79 ,

जगदलपुर, दिनांक 13 मार्च, 2023.

हमारे देश में इन्फ्लूएंजा विषाणु का प्रसार तीव्रता से हो रहा है। न्यायालय में प्रतिदिन भिन्न-भिन्न स्थानों से अनेक लोग आते हैं। अतः ऐसी स्थिति में जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में इन्फ्लूएंजा का संक्रमण तेज़ी से हो सकता है।

इन्फ्लूएंजा के संक्रमण से बचाव के उद्देश्य से इस स्थापना के समस्त न्यायिक अधिकारी-कर्मचारियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्थाई लोक अदालत, श्रम न्यायालय के अधिकारी-कर्मचारियों, अधिवक्तागण, जिला अभिभाषक/अभियोजन कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारियों और पक्षकारों को मास्क लगाना अत्यावश्यक हो जाता है।

अतः जिला एवं सत्र न्यायालय, बस्तर, स्थान-जगदलपुर में उपस्थित होने वाले समस्त न्यायिक अधिकारी-कर्मचारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्थाई लोक अदालत, श्रम न्यायालय के अधिकारी-कर्मचारीगण, अधिवक्तागण, जिला अभिभाषक/अभियोजन कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारीगण और पक्षकार अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करें, ताकि इन्फ्लूएंजा के संभावित संक्रमण से बचाव हो सके।

(आलोक कुमार)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

~~बस्तर, स्थान-जगदलपुर।~~

जगदलपुर, दिनांक 13 मार्च, 2023.

पृ० कमांक 434/दो-12-12/79,

यथा-आदेश प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत, जगदलपुर,
2. प्रथम/द्वितीय/तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (पॉक्सो/श्रम न्यायालय),
3. प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,
4. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
5. प्रभारी अधिकारी, कार्यालय/नज़ारत/प्रतिलिपि अनुभाग/ग्रंथालय/मालखाना/अभिलेखागार/कम्प्यूटर अनुभाग/केन्द्रीय पंजीयन शाखा, जगदलपुर,
6. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला बस्तर, जगदलपुर,
7. जिला अभिभाषक, जिला बस्तर, जगदलपुर,
8. उप संचालक, अभियोजन, जिला बस्तर, जगदलपुर,
9. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, जिला बस्तर, जगदलपुर,
10. प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर, स्थान - जगदलपुर,
11. प्रस्तुतकार, विशेष न्यायालय (अ०ज०जा०, अ० जा० अत्या० निवा०), जगदलपुर  
की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रशासनिक अधिकारी,  
कार्या० जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
~~बस्तर, स्थान-जगदलपुर।~~